रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012024-251357
CG-DL-E-15012024-251357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2024/पौष 25, 1945
No. 166]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2024/PAUSHA 25, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

सं. 57 / 2023

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत भाामिल सिल्वर की नीतिगत भार्त में संशोधन।

का.आ. 175(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 71 के तहत निम्नलिखित संशोधित करती हैः

1. अध्याय 71 की नीतिगत शर्त संख्या 05 को निम्नानुसार शामिल करती हैः

i. ग्लास और सोलर उद्योगों सहित इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा 'वास्तविक उपयोगकर्ता' के आधार पर उनके स्वयं के विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए निविष्टि के रूप में अर्ध–विनिर्मित सिल्वर पेस्ट, शीट्स, प्लेट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स, इलैक्ट्रोड्स, वायर्स, सिल्वर ब्रेज़िंग मिश्र धातु (किसी भी रूप में) का आयात 'मुक्त' होगा।

ii. उपर्युक्त क्रम संख्या (i) में उल्लिखित आयात मदें सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों हेतु भी 'मुक्त' होगी।

iii. अन्य उद्देश्यों हेतु आयात आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है।

2. निम्नलिखित आईटीसी (एचएस) कोडों हेतु आयात नीतिगत शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

आईटीसी (एचस) कोड एवं विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत भार्त	संशाधित नीतिगत शर्त
71069210 –अन्यः–– अर्ध–विनिर्मित– शीट्स, प्लेट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स और पाईप्स	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है।	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 05 के अधीन है।
71069290 –अन्यः–– अर्ध–विनिर्मित– अन्य	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआई (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से आयात के लिए आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा आयात अनुमत है।	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 05 के अधीन है। अन्य प्रयोजनों हेतु आयात इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से आयात के लिए आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा भी अनुमत है।

अधिसूचना का प्रभावः ग्लास और सोलर उद्योगों सहित इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा 'वास्तविक उपयोगकर्ता' के आधार पर उनके स्वयं के विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए निविष्टि के रूप में अर्ध–विनिर्मित सिल्वर पेस्ट, शीट्स, प्लेट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स, इलैक्ट्रोड्स, वायर्स, सिल्वर ब्रेज़िंग मिश्र धातु (किसी भी रूप में) का आयात 'मुक्त' होगा। सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों हेतु दी गई मदों का आयात भी 'मुक्त' होगा। किसी अन्य उद्देश्य हेतु आयात पूर्व प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम 11/पीसी–2[क]/भाग–VII/ई–34827]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2024

No. 57/2023

Subject: Amendment in policy condition of silver covered under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

S.O. 175(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 71 of Schedule-1(Import Policy) of ITC(HS) 2022:

1. Policy Condition no. 05 of the Chapter 71 is introduced as under:

i. Import of Semi-Manufactured Silver Paste, Sheets, Plates, Strips, Tubes, Electrodes, Wires, Silver Brazing Alloys(in any form), by Electrical, Electronics and Engineering industries including Glass and Solar Industries as input for their own manufacturing process on 'Actual User' Basis shall be 'Free'.

ii. Import items mentioned at serial (i) above for Research & Development purposes by Government or Government Recognised Research Institutions shall also be 'Free'.

iii. Import for other purposes is permitted through Nominated Agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).

2. The Import Policy condition for the following ITC(HS) Codes is amended as under:

ITC(HS) code & Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
71069210 - Other: --Semi-manufactured ---Sheets, plates, strips, tubes and pipes	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).	Subject to Policy condition no. 05 of this Chapter.
71069290 - Other: --Semi-manufactured ---Other	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International bullion Exchange (IIBX).	Subject to Policy condition no. 05 of this Chapter. Import for other purposes is also permitted through Qualified Jewellers as notified by the IFSCA for import through India International bullion Exchange (IIBX).

Effect of the notification: Import of Semi-Manufactured Silver Paste, Sheets, Plates, Strips, Tubes, Electrodes, Wires, Silver Brazing Alloys(in any form), by Electrical, Electronics and Engineering industries including Glass and Solar Industries as input for their own manufacturing process on 'Actual User' basis shall be 'Free'. Import of given items for R&D purposes by Government or Government Recognised Institutions shall also be 'Free'. Import for any other purposes shall be through specified agencies as per the earlier provisions.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-VII /E-34827]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.15 22:39:31 +05'30'